संख्या-89/2024/।/761328/2024/004-71-2099-263-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।

3- निदेशक, कल्याण सिंह सुपर अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ।

4- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक-04-10-2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/169, दिनांक 01.08.2024, निदेशक, कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-KSSSCI/लेखा-100/157/2024, दिनांक 30.07.2024, वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा के पत्र संख्या-1161/E/यू0पी0यू0एम0एस0/वित्त/2024-25, दिनांक 01.08.2024 एवं निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के पत्र संख्या-जी0आई0एम0एस0/2024/1961, दिनांक 22.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि 460.00 लाख (रुपये चार करोड़ साठ लाख मात्र) निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

रू0 लाख में

क्र0सं0	कालेज/संस्थान का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा	10.00
2	राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी	150.00
3	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर	50.00
4	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज	10.00
5	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ	10.00
6	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर	10.00
7	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	2.50
8	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा	2.50
9	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज	5.00
10	राजकीय मेडिकल कालेज, उरई	5.00
11	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर	5.00
12	कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ।	100.00
13	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा	50.00
14	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा	50.00
	योग	**460.00**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3. प्रधानाचार्य/निदेशक/रजिस्ट्रार, का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे।
4. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (नियमावली 2013) यथासंशोधित 2021 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/ लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं संशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231 /2024, दिनांक 19.06.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. धनराशि को कोषागार से संबंधित मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,60,00,000 (रुपये चार करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-3-137-X-2024-25-दिनांक-23.09.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-89/2024/।/761328/2024/004-71-2099-263-202, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/कलेक्ट्रेट लखनऊ/जवाहर भवन, लखनऊ/सैफई इटावा/ग्रेटर नोएडा/आगरा/झाँसी/ कानपुर/प्रयागराज/ मेरठ/गोरखपुर/आजमगढ़/बाँदा/कन्नौज/उरई/ सहारनपुर, उ0प्र0।
6. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, संबंधित राजकीय मेडिकल कालेज/चिकित्सा/ संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।